रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265586
CG-DL-E-21082025-265586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3716] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947
No. 3716] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 3820(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-44 पर से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले प्रस्तावित 6 लेन वृंदावन बाईपास के निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) स्तम्भ (5) स्तम्भ (6) और स्तम्भ (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों, और ग्रामों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट खण्ड के सम्बन्ध में संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षमप्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतदद्वारा सक्षमप्राधिकारी, के रुप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-44 पर से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले प्रस्तावित 6 लेन वृंदावन बाईपास के निर्माण पर भूमि अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6		गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग	उत्तर प्रदेश	मथुरा	छाता	1	आझई खुद

	(प्रशासन), मथुरा	संख्या NH44 के कि.मी 0 से कि.मी 15.34 तक				2	भरितया
						3	आझई कलां
						4	चौमुहां
						5	परखम गूजर
					मांट	1	अर्रूआ बांगर
						2	जहाँगीरपुर खादर
						3	भीम बागर
						4	अर्रूआ खादर
						5	पिपरौली खादर
						6	बेगमपुर खादर
						7	जहाँगीरपुर बांगर
						8	बेगमपुर बागर
						9	डांगौली खादर
						10	पिपरौली बांगर
					सदर	1	आटस बांगर
						2	जैत
						3	सुनरख खादर
						4	आटस खादर

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-19/2024-25/754]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 3820(E).—In exercise of the powers Conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the Competent Authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to State, Districts, Taluka, and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said schedule for proposed construction of 6 lane Vrindavan Bypass on NH 44 connecting Yamuna Expressway in the State of Uttar Pradesh.

SCHEDULE

Land acquisition for proposed construction of 6 lane Vrindavan Bypass on NH 44 connecting Yamuna Expressway in the State of Uttar Pradesh.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6		Name of the Village 7
1	ADM(E), Mathura	NH44 KM 0 TO KM 15.34	UTTAR PRADESH	MATHURA	Chhata	1	Ajhai Khurd
						2	Bhartiya
						3	Ajhai Kalan
						4	Chaumuhan
						5	Parakham Gujar
					Mant	1	Arruwa Bangar
						2	Jahangirpur Khadar
						3	Bheem Bangar
						4	Arruwa Khadar
						5	Piproli Khadar
						6	Begampur Khadar
						7	Jahangirpur Bangar
						8	Begampur Bangar
						9	Dangoli Khadar
						10	Piproli Bangar
					sadar	1	Atas Bangar
						2	Jait
						3	Sunrakh Khadar
						4	Atas Khadar

[F. No. CE-RO/LKO/NH-19/2024-25/754]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.21 12:05:38 +05'30'